Seventeenth Loksabha

>

Ttile: Need to make laws for proper control/checks on Social Media.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में हम लोग अभी चुनाव लड़कर आए हैं । प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कोई-न-कोई कानून बना रखा है । लेकिन, फेसबुक के माध्यम से, जैसा कि अभी जयदेव गल्ला जी बोल रहे थे, विभिन्न ऐप्स या नेट के माध्यम से प्रत्येक जिले और प्रत्येक ब्लॉक में पत्रकार खड़े हो गए हैं, जो आपके सामने माइक लगा देते हैं और आपकी प्राइवेसी पर हस्तक्षेप करते हैं । इनसे तबाह होते हुए, अभी सारे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव लड़कर आए हैं ।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया एक गाइडेड कानून के तहत देश में काम कर रहे हैं, उसी तरह से गुगल, फेसबुक आदि जो पेड न्यूज़ या जिस प्रकार के भी न्यूज़ के माध्यम हैं या सोशल मीडिया है, इनको कंट्रोल करने के लिए सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए ताकि लोगों की प्राइवेसी पर हस्तक्षेप न हो सके ।

माननीय अध्यक्ष: यह बहुत अच्छा विषय है और सदन की चिन्ता का विषय है । इस पर चर्चा होनी चाहिए । यदि आप नियम 193 के तहत चर्चा के लिए सूचना देंगे, तो हम इस पर चर्चा कराएंगे ।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री एस.सी.उदासी, डॉ. राजदीप राय एवं श्री दुष्यंत सिंह को श्री निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।